

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर
क्रमांक: प.४ (क)(लाईटस)(02)डीएलबी/21/ ६६६३ दिनांक: २०-९-२०२१

आदेश

न्याय विभाग ह्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में लाईटस वेबसाइट पर न्यायिक प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर नगर परिषद आयुक्त एवं नगर निगम की दशा में वरिष्ठतम विधि सेवा के अधिकारी को एतद्वारा जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।



(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकप.४(क)(लाईटस)(02)डीएलबी/21/ ६६६५-६८९८ दिनांक: २०-९-२०२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, शासन संयुक्त सचिव न्याय विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वा० शा० विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वा० शा० विभाग, निदेशालय जयपुर।
04. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी स्वा० शा० विभाग, निदेशालय जयपुर।
05. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
06. आयुक्त/अधिकारी अधिकारी, समस्त नगरीय निकाय राजस्थान।
07. वरिष्ठतम विधि अधिकारी समस्त नगर निगम राजस्थान।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी